International Journal of Sanskrit Research 2023; 9(4): 173-176

International Journal of Sanskrit Research

अनन्ता

ISSN: 2394-7519
IJSR 2023; 9(4): 173-176
© 2023 IJSR
www.anantaajournal.com
Received: 05-07-2023
Accepted: 09-08-2023

हर्ष कुमार त्रिपाठी
सहायक आचार्य, संस्कृत विभाग,
श्री ब्रजेन्द्र जनता महाविद्यालय,
बिसावर, हाथरस, उत्तर प्रदेश
भारत

Corresponding Author:
हर्ष कुमार त्रिपाठी
सहायक आचार्य, संस्कृत विभाग,
श्री ब्रजेन्द्र जनता महाविद्यालय,
बिसावर, हाथरस, उत्तर प्रदेश
भारत

प्राचीन और आधुनिक मन्त्रिपरिषद्: एक अध्ययन

हर्ष कुमार त्रिपाठी

प्रस्तावना

कोई भी समाज किन्ही नियमों और अनुशासनों के आधार पर ही संचालित होता है, अनुशासन न रहने पर समाज में विसंगतियाँ पैदा हो जाती हैं। चाहे विश्व के किसी भी क्षेत्र को देखें तो हर एक काल-खण्ड में जिस किसी भी समुदाय की स्थिति और सत्ता रही है, वहाँ पर कुछ न कुछ नियम अवश्य रहे हैं, जिनसे सामाजिक व सभी प्रकार की व्यवस्थाओं का संचालन होता रहा है। नियम न रहने पर 'मात्स्यन्याय' प्रवृत्त होता है, जिसका तात्पर्य होता है कि जो धनबल और बाहुबल में समर्थ होता है. वह अपने से कमतर व्यक्तियों का शोषण करता है, (मात्स्यन्याय का शब्दश: अर्थ होता है जलाशय में छोटी मछलियों को बड़ी मछलियाँ खा जाया करती हैं)। अत: समाज के सम्यक् संचालन में इतिहास में अनेक विद्वानों ने विभिन्न आचार-संहिताओं की रचना की है और उस आधार पर शासन-प्रणालियों में पर्याप्त बदलाव दृष्टिगोचर होता है। हर काल में शासन का एक सर्वोच्च प्रतीक रहा है, जो कभी है, जो कभी राजा, कभी सम्राट, कभी राष्ट्रपति आदि रूपों में दृष्टिगोचर होता है। उसकी सहायता के लिए एक परिषद की संरचना या एक समिति का निर्माण होता रहा है, जिसे हर काल में मन्त्रिपरिषद्, मंत्रिमण्डल या मंत्रिण: आदि नामों से संबोधित किया जाता रहा है। वैसे तो कई महान लेखकों और विचारकों ने इस विषय पर अपनी लेखनी से समाज को उपकृत किया है, परन्तु हम इस पत्र में कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र' को प्रधान बनाकर प्राचीन मंत्रिपरिषद तथा वर्तमान भारतीय-व्यवस्था में मंत्रिपरिषद को ग्रहण करके आधुनिक मंत्रिपरिषद के सिद्धांत पर चर्चा करेंगे।

मंत्रिपरिषद के विषय में विचार करने पर मुख्य रूप से निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान आकृष्ट होता है-

१. मंत्रिपरिषद की संरचना के विषय में
२. मंत्रिपरिषद की शक्तियों और उसके उत्तरदायित्व के संदर्भ में
३. मंत्रिपरिषद के सदस्य बनने की अर्हताओं के संदर्भ में

अर्थशास्त्र में आचार्य कौटिल्य ने सर्वप्रथम दूसरे आचार्यों का उद्धरण दिया है तथा उन आचार्यों द्वारा बताई गई मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या की ओर भी ध्यान आकृष्ट किया है-

१. 'मनु के अनुयायी अर्थशास्त्रविदों का इस सम्बन्ध में कहना है कि 'मंत्रिपरिषद में बारह अमात्यों की नियुक्ति की जानी चाहिए।'[1]
२. बृहस्पति के अनुयायी विद्वान 'सोलह मंत्रियों' की संख्या को रखे जाने के पक्ष में दिखते हैं।[2]
३. शुक्राचार्य (औशनस्) पक्ष के आचार्यों का मानना है कि मंत्रिपरिषद में सदस्यों की संख्या 'बीस' होनी चाहिए।[3]

इन तीन प्रमुख प्राचीन आचार्यों का मत प्रस्तुत करने के बाद आचार्य कौटिल्य अपने मत को प्रस्तुत करते हैं कि 'कार्य करने वाले पुरुषों की सामर्थ्य के अनुसार ही मंत्रिपरिषद में सदस्यों की संख्या नियत करनी चाहिए।'[4] तात्पर्य यह है कि राज्य में जिस प्रकार के विभिन्न-कार्य हों, उसी प्रकार आवश्यक दक्ष व्यक्तियों को मंत्रिपरिषद में स्थान प्रदान करना चाहिए। अर्थशास्त्र में उल्लेख है कि इन्द्र की मंत्रिपरिषद में एक हजार ऋषि थे, जो कि उनके कार्यों के निर्देशक थे, इसीलिए इन्द्र को एक हजार नेत्रों वाला बताया गया है।[5] अर्थशास्त्र में अमात्य और मंत्री के बीच भेद किया गया है, जैसा कि अर्थशास्त्र के ही इस श्लोक से स्पष्ट है-

'विभज्यामात्यविभवं, देशकालौ च कर्म च।
अमात्याः सर्व एतैते, कार्याः स्युर्न मंत्रिणः।।'[6]

इसका अर्थ है कि राजा को चाहिए कि वह सभी विद्वानों के कथनानुसार व्यक्तियों को देश, काल, विद्या, कौशल, कर्म आदि को विचारित करके अमात्यों की नियुक्ति करे, किन्तु उन्हें अपना मंत्री कदापि न बनाए। अतः इससे स्पष्ट है कि अमात्य और मंत्री में वस्तुतः भेद है तथा राज्य के सभी अंगों में मंत्री महत्वपूर्ण स्थान रखता है।

अब हम अगर वर्तमान की मंत्रिपरिषद की संरचना पर विचार करें तो भारतीय संविधान आचार-संहिता होगा। संविधान के भाग-1 के अनुसार भारत राज्यों का एक संघ है। इसमें संघ की केन्द्रीय सरकार होती है तथा अलग-अलग राज्यों की अपनी अलग-अलग सरकारें होतीं हैं। केन्द्रीय विधायिका में दो सदन होते हैं - लोकसभा, राज्यसभा। इन दोनों सदनों में से जनता से प्रत्यक्ष-रूप से निर्वाचित होकर सदस्य लोकसभा में पहुंचते हैं तथा जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों से निर्वाचित होकर सदस्य राज्यसभा के सदस्य बनते हैं। मंत्रिपरिषद के सदस्यों को इन दोनों सदनों में से किसी एक सदन का सदस्य होना अनिवार्य होता है। वर्तमान प्रणाली में कुल सदस्यों के 15% सदस्यों को मंत्रिपरिषद का सदस्य सकता है।[7] भारतीय संविधान में मंत्रिपरिषद से संबंधित दो अनुच्छेद अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। अनुच्छेद ७४ के शब्द इस प्रकार हैं- 'राष्ट्रपति को अपने कार्यों को पूरा करने और परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा।[8] मंत्रियों ने राष्ट्रपति को क्या कोई परामर्श दिया और यदि दिया तो क्या, इस प्रश्न पर न्यायालय में कोई जाँच नहीं की जा सकेगी। मंत्री अपने-अपने विभागों के प्रमुख होते हैं जिन्हें कैबिनेट मंत्री कहा जाता है। कैबिनेट मंत्रियों की सहायता के लिए राज्यमंत्रियों की भी नियुक्ति की जाती है। तीसरी श्रेणी उपमंत्रियों की होती है।

अर्थशास्त्र के अनुसार मंत्रिपरिषद में एक प्रधानमंत्री होता है, जो सभी मंत्रियों का मुखिया होता है। सभी मंत्रियों का विभाग-क्षेत्र बँटा हुआ होता है और सभी मंत्री समयानुसार राजा को उचितानुचित मंत्रणा दिया करते हैं। अर्थशास्त्र में उल्लिखित है कि राजा को जिस किसी भी विषय पर मंत्रणा की आवश्यकता हो, उस विभाग से संबंधित मंत्री के साथ मंत्रणा करे और उसमें अधिकतम प्रधानमंत्री और एक अन्य मंत्री को ही सम्मिलित करे।[9] न्यूनतम राजा सिर्फ उसी मंत्री के साथ विमर्श कर सकता है। ऐसा इसलिए है, क्योंकि आचार्य कौटिल्य ने मंत्रगुप्ति (विभिन्न विषयों के संदर्भ में की गई चर्चा को गुप्त रखना) को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है। कौटिल्य के अनुसार मंत्रगुप्ति से हर प्रकार के प्रयोजन सिद्ध किए जा सकते हैं। मंत्रगुप्ति से राजा अप्राप्त को प्राप्त कर सकता है, प्राप्त की रक्षा कर सकता है तथा रक्षित वस्तु को बढ़ा सकता है। मंत्रिपरिषद का उत्तरदायित्व राजा के प्रति होता है तथा राजा के प्रसादपर्यंत ही सदस्य बने रह सकते हैं। मंत्रिपरिषद के पास बस मंत्रणा प्रदान करने का दायित्व होता है, अन्य सभी शक्तियाँ राजा में निहित होतीं थीं।

---

[1] मन्त्रिपरिषदं द्वादशामात्यान् कुर्वीतेति मानवाः। अर्थशास्त्र, पृष्ठ-४७
[2] षोडशेति वार्हस्पत्याः । अर्थशास्त्र, पृष्ठ-४७
[3] विंशतिमित्यौशनसाः । अर्थशात्र, पृष्ठ-४७
[4] यथासामर्थ्यमिति कौटिल्याः । अर्थशास्त्र, पृष्ठ-४७
[5] इन्द्रस्य हि मन्त्रिपरिषदृषीणां सहस्रम् । स तच्चक्षुः । तस्यादिमं द्व्यक्षं सहस्राक्षमाहुः ।। अर्थशास्त्र, पृष्ठ-४७
[6] अर्थशास्त्र | पृष्ठ-२२
[7] भारतीय संविधान्, अनुच्छेद ७४
[8] मन्त्रिभिस्त्रिभिश्चतुर्भिर्वा सह मन्त्रयेत। अर्थशास्त्र | पृष्ठ-४६
[9] देशकालकार्यवशेन त्वेकेन सह द्वाभ्यामेको वा यथासामर्थ्य मन्त्रयेत | अर्थशास्त्र, पृष्ठ-४६

हम यदि वर्तमान मंत्रिपरिषद पर ध्यान दें तो निश्चित तौर पर यह ज्ञात होता है कि मंत्रिपरिषद ही कार्यकारी रूप से सर्वोच्च स्थान रखती है। प्राचीन समय में मंत्रिपरिषद राजा को सिर्फ मंत्रणा दिया समय करती थी और उसे मानना या न मानना राजा के स्वयं के विवेक के ऊपर निर्भर करता था। परन्तु वर्तमान प्रणाली में मंत्रिपरिषद के निर्णय पर राष्ट्रपति को मुहर लगानी ही पड़ती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद ७५ के अनुसार मंत्रिपरिषद के निर्णय को राष्ट्रपति पुनर्विचार करने के लिए वापस भेज सकता है, परन्तु अगर फिर भी मंत्रिपरिषद (कैबिनेट) अपने निर्णय पर अटल रहे तो राष्ट्रपति को उस निर्णय पर हस्ताक्षर करने पड़ते हैं। राष्ट्रपति का पद संवैधानिक रूप से सर्वोच्च है, परन्तु कार्यकारी रुप से वर्तमान प्रणाली में मंत्रिपरिषद ही सर्वोच्च स्थान रखती है। मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व संसद के प्रति होता है और मंत्रिपरिषद जब तक संसद का विश्वासमत (लोकसभा का विश्वासमत) उसके पास हो, तभी तक सत्ता में रह सकती है, अन्यथा उसे त्यागपत्र देना पड़ता है।

प्राचीन समय में अर्थशास्त्र में उल्लिखित है कि किस व्यक्ति को मंत्री (अमात्य) बनाया जाए। आचार्य कौटिल्य पहले प्राचीन विद्वानों के मतों को उपस्थापित करते हैं -

१. आचार्य भारद्वाज का अभिमत है कि राजा अपने सहपाठियों को अमात्य पद पर नियुक्त करें, क्योंकि वह उनकी हृदय की परिपक्वता से परिचित होता है और वो राजा के विश्वासपात्र हो सकते हैं।[10]
२. आचार्य विशालाक्ष का कहना है कि सहपाठी को अमात्य बनाना ठीक नहीं। ऐसे व्यक्तियों को अमात्य बनाना चाहिए, जिन्होंने गुप्तकार्यों में राजा का साथ दिया हो।[11]
३. आचार्य पाराशर आचार्य विशालाक्ष के मत से संतुष्ट नहीं हैं। उनके अनुसार जो राजा की प्राणघातक आपत्तियों में रक्षा करें, उनको अमात्य नियुक्त करना चाहिए।[12]
४. आचार्य पिशुन बुद्धि को अमात्य का सर्वोत्तम गुण मानते हैं, उनके अनुसार अमात्य पद पर उन्हीं को नियुक्त करना चाहिए, जो कि विशिष्ट राजकीय कार्यों पर नियुक्त होकर अपने कार्यों को विशेष योग्यता के साथ संपन्न करके दिखा दें।[13]

इसी क्रम में आचार्य कौटिल्य आचार्य कौणपदन्त[14] आचार्य वातव्याधि[15] आचार्य[16] आदि
के मतों का भी उल्लेख करते हैं। तत्पश्चात् आचार्य कौटिल्य स्वमत प्रस्तुत करते हैं- 'भारद्वाज से लेकर बाहुदन्तीपुत्र तक की विचार-परम्परा अपने-अपने स्थान पर ठीक है। किसी भी पुरुष के सामर्थ्य की स्थिति उसके कार्यों की सफलता पर निर्भर है और उसकी यह कार्यक्षमता उसकी यह कार्यक्षमता उसकी विद्या-बुद्धि के बल पर ही आँकी जा सकती है।'[17]

आचार्य कौटिल्य चार प्रकार की उपधाओं से अमात्यों के आचरण की परीक्षा करनी चाहिए। ये चार प्रकार की उपधाएँ निम्नलिखित हैं- धर्मोपधा, अर्थोपधा, कामोपधा, भयोपधा। इन उपधाओं से परीक्षित अमात्यों को तत्तद् विभागों में नियुक्त करना चाहिए। अमात्यातिरिक्त मंत्री के संबंध में आचार्य कौटिल्य विभिन्न गुणों का आश्रयण करते हैं, जो कि प्रधानमंत्री पद के लिए अपेक्षित हैं। इनमें स्वदेशोत्पन्न, कुलीन, अवगुण-शून्य, निपुण सवार, ललित कलाओं का ज्ञाता, अर्थशास्त्र का विद्वान, बुद्धिमान, स्मरणशक्ति सम्पन्न, चतुर, वाक्पटु, सुशील, समर्थ, पवित्र, दृढ़, स्वामिभक्त आदि अनेको गुण विद्यमान होने चाहिए।[18]

वर्तमान भारतीय प्रशासनिक प्रणाली में मंत्रिपरिषद का होने के लिए अनिवार्य अर्हताएँ कुछ इस प्रकार हैं, जैसी अर्हताएं भारत के सदन (लोकसभा और राज्यसभा) का सदस्य होने के लिए लिए होतीं हैं। सदन के सदस्यों में से जो सत्तापक्ष के सदस्य होते हैं, उन्हें अनुभव, योग्यता व दलीय राजनीति के अनुसार तत्तद मंत्रालयों का कार्यभार प्रदान जाता है।

मंत्रिपरिषद् के लिए कोई शैक्षिक योग्यता अनिवार्य नहीं है, भारत के किसी भी नागरिक को मंत्री नियुक्त किया जा सकता है, साधारणतया संसद-सदस्यों को मंत्री नियुक्त किया जाता है, जिसके पीछे कोशिश ये होती है कि लोकप्रिय व्यक्ति को ही मंत्री

---

[10] सहाध्यायिनोऽमात्यान् कुर्वीत । दृष्टशौचसामर्थ्यात्वादिति भारद्वाजाः। ते ह्यस्य विश्वास्याः भवन्ति । अर्थशास्त्र, पृष्ठ-२०

[11] नेति विशालाक्षः। ये ह्यस्य गुह्यसंधर्माणस्तानमात्यान कुर्वीत । अर्थशास्त्र, पृष्ठ-२०

[12] य एनमापत्सु प्राणाबाधयुक्तास्वनुगृहीयुस्तानमात्यान् कुर्वीत। अर्थशास्त्र, पृष्ठ-२१

[13] नेति पिशुनः । संख्यातार्थेषु कर्मसु नियुक्ता ये यथादिष्टमर्थं सविशेषं वा कुर्युस्तानमात्यान् कुर्वीत | अर्थशास्त्र, पृष्ठ-२१

[14] अर्थशास्त्र, पृष्ठ-२१

[15] अर्थशास्त्र, पृष्ठ-२१

[16] अर्थशास्त्र, पृष्ठ-२२

[17] अर्थशास्त्र, पृष्ठ-२२

[18] जानपदोऽभिजातः स्वग्रहः कृतशिल्पश्चक्षुष्मान् प्राज्ञो धारयिष्णुः दक्षो वाग्मी प्रगल्भः प्रतिपत्तिमानुत्साहप्रभावयुक्तः क्लेशसहः शुचिर्मैत्रो दृढभक्तिः शीतबलारोग्यसत्वसंयुक्तः स्तम्भचापल्यवर्जितः संप्रियो वैराणामकर्तेत्यामात्यसंपत | अर्थशास्त्र, पृष्ठ-२३

बनाया जाए जिससे शासन - व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। मंत्रियों का राष्ट्रपति के प्रति व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होता है तथा विधानमण्डल के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व होता है तथा वे संसदीय कार्यपालिका के अंग होते हैं, अत: कार्यपालिका के प्रति भी उनका उत्तरदायित्व रहता ही है।

अत: इस प्रकार यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि प्राचीन (अर्थशास्त्र के अनुसार) की मन्त्रिपरिषद की संकल्पना और वर्तमान भारतीय प्रशासन व्यवस्था में मंत्रिपरिषद की संकल्पना पर कहीं-कहीं साम्य दिखता है तथा कहीं-कहीं विरोध भी हष्टिगोचर होता है। हमें इस ओर भी ध्यान देना होगा कि उस समय की व्यवस्था को राजतंत्र के अनुरूप अनुशासित किया गया था और आज भारत एक लोकतंत्र है। इस एक अलगाव के कारण ही सम्पूर्ण व्यवस्था में भिन्नता दिखना सहज और स्वाभाविक है। परन्तु फिर भी यदि हम सूक्ष्म दृष्टि से विचार करें तो पाएंगें कि आज की मंत्रिपरिषद की संरचना में आचार्य कौटिल्य के विचारों की छाप दिखाई देती है और कुछ स्थानों पर उस महान विभूति के विचारों से प्रेरणा लेकर कुछ आ रही कमियों को दूर भी जा सकता है।

सन्दर्भ

1. अर्थशास्त्र (कौटिल्य विरचित), सम्पा. शर्मा, कमलनयन, जगदीश संस्कृत पुस्तकालय: जयपुर-२०१७
2. भारतीय संविधान (मूल संस्करण), भारत सरकार
3. संस्कृत वाङ्मय का बृहद् इतिहास, प्रधान सम्पा. उपाध्याय, बलदेव, सम्पा. पाण्डेय, गोपालदत्त, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान: लखनऊ-२०००
4. धर्मशास्त्र का इतिहास, काणे, पी. वी., उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान: लखनऊ-१९९२
5. भारत की राजव्यवस्था, लक्ष्मीकान्त, एम., मैग्रा हिल एजुकेशन-२०१७